बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
अधिसूचना

संख्या– 12/चक0–विविध–09–03/15............./चक0, पटना दिनांक............./

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956, 5(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसका समाधान होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित अंचलों से संबंधित ग्रामों (इकाईयों) की समेकन योजना कार्यबल के अभाव में तैयार करने में समय लगने की संभावना है तथा वर्त्तमान में भूमि पंजी निर्माण एवं सिद्धांत विवरणी की तैयारी यथा उपबंधित धारा 8, 9 & 9A चकबंदी अधिनियम के अधीन नहीं की जा रही है। वैसे जगहों पर चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के तहत भू–अंतरण एवं बँटवारा पर प्रतिषेध जनहित में उचित नहीं होता है। इससे रैयतों के कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग को मंतव्य एवं चकबंदी अधिनियम के निहित प्रावधान के आलोक में धारा 5(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों/इकाईयों में जहाँ पुनः चकबंदी शुरू की गयी तिथि 15.03.2004 से भू–अंतरण एवं बँटवारा से अगले आदेश तक छूट रहेगा। धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंधों के प्रावधानों के चलते इन ग्रामों के रैयत एवं दर रैयतों को भूमि अंतरण पर प्रतिबंध से परेशानी होगी। अतः जनहित में निम्न अनुसूची में वर्णित जिले के चकबंदी योजना से आच्छादित अंचलों के सभी राजस्व ग्रामों के भूमि अंतरण की धारा 5(1) के उपबंधो के प्रवर्त्तन से अगले आदेश तक छूट देता हूँ।

क्र0	जिला का नाम	अधिनियम की धारा 3(1) के अर्न्तगत अधिसूचित अंचलों का नाम
1	2	3
1.	वैशाली	हाजीपुर, विदुपुर, जन्दाहा, महनार, महुआ, गोरौल, लालगंज, वैशाली, पातेपुर, देसरी
2.	मुजफ्फरपुर	पारू, सरैया, साहेबगंज, बरूराज, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, मुसहरी, वोचहा, मीनापुर, कुढ़न्नी, काँटी, कटरा,
3.	समस्तीपुर	जितवारपुर, उजियारपुर, ताजपुर, सरायरंजन, पूसा, कल्याणपुर, विभूतिपूर
4.	सीतामढ़ी	रूनीसैदपुर, बेलसण्ड, शिवहर, पिपराही, रीगा, मेजरगंज, बथनाहा, सोनवर्षा, परिहार, सुरसण्ड, पुपरी, वाजपट्टी, नानपुर, डुमरा
5.	अररिया	अररिया, फारबिसगंज, रानीगंज, कुर्साकाँटा, नरपतगंज, भरगामा
6.	पूर्णियाँ	कृत्यानगर, पूर्णिया पूर्व, वायसी, कुर्साकाँटा, सिकटी, कसवा, वैसी, अमौर, पलासी
7.	किशनगंज	किशनगंज, दिघलबैंक, बहादुरगंज, कोचाधामनन, टेढ़ागाछ, पोठिया, ठाकुरगंज, जोकीहाट

क्र0	जिला का नाम	अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचित अंचलों का नाम
1	2	3
8.	कटिहार	कोढ़ा, फलका, वराढ़ी, बलरामपुर, कदवा, वारसोई, आजमनगर, प्राणपुर, कटिहार, अमादाबाद, मनिहारी
9.	मधेपुरा	कुमारखण्ड
10.	औरंगाबाद	ओबरा, औरंगाबाद, वारूण, रफीगंज, गोह, देव, नवीनगर, कुटुम्बा, मदनपुर, दाउदनगर, हसपुरा
11.	गया	इमामगंज, आमस, गुरूआ, परैया
12.	जहानाबाद	घोषी, करपी, कुर्था, अरवल, मखदुमपुर, काको, जहानाबाद
13.	भागलपुर	शंभूगंज, वाराहाट, बेलहर, धोरैया
14.	बाँका	बाँका, अमरपुर
15.	सुपौल	सुपौल, त्रिवेणीगंज, किशनपुर, पिपरा, बसंतपुर, राघोपुर, छातापुर
16.	सहरसा	कहरा, सिमरी, बख्तियारपुर
17.	पश्चिमी चम्पारण	नौतन, वैरिया, मंझौलिया, चनपटिया सिकटी, रामनगर, मैनाटाढ़, नरकटियागंज, लौरिया, बगहा नं0–1, बगहा नं0–2, बेतिया गौनाहा, जोगापट्टी
18.	सिवान	भगवानपुर, गोरियाकोठी, बसंतपुर, मैरवा
19.	गोपालगंज	भोरे, विजयपुर
20.	सारण	जलालपुर, गरखा, छपरा मुफ्फसिल, बनियापुर।
21.	नालंदा	हिलसा

ह0/–
निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 363 /चक0 पटना, दिनांक 6.6.2017

प्रतिलिपि – **अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 सहित)** को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय), पटना को आपूर्त्ति करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 363 /चक0 पटना, दिनांक 6.6.2017

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, गया, सारण, पटना/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।